



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:—एफ.24()ITEP /बी.एड./नि.सं./आकाशि/2026

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

क्षेत्रीय निदेशक,
पश्चिम क्षेत्रीय समिति,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
जी-7, सेक्टर-10, द्वारका,
नई दिल्ली-110075

विषय:— ITEP हेतु विलय करने वाले संस्थानों को सहमति के संबंध में।

संदर्भ:— एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 15.05.2025 से जारी दिशानिर्देश के क्रम में।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा एन.ई.पी.—2020 के अन्तर्गत एकल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन के संबंध में जारी दिशानिर्देश दिनांक 15.05.2025 के क्रम में निम्नलिखित प्रबंध समितियों/महाविद्यालयों द्वारा आई.टी.ई.पी. कोर्स हेतु Merger करने के उपरान्त विभाग में किये गये आवेदन के अनुसार उनके क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है।

Sr.No	Name of Society	Name of College	Remarks
1.	S.N. Education society, 2/101, shiv nagar, dholpur	S.N. College of education, govt. ITI Road, teh-dholpur, dist. dholpur	Merged with S.N. College of science, bari road, near 220 KV GSS, dholpur (S.N. Education society, 2/101, shiv nagar, dholpur)
2.	Sarswati vidhya mandir sansthan, udaji ka gada, ghatol, banswara	Sarswati vidhya mandir sansthan, udaji ka gada, ghatol, banswara	Merged with Sarswati mahavidyalaya, udaji ka gada, ghatol, banswara (Sarswati vidhya mandir sansthan, udaji ka gada, ghatol, banswara)

शर्तें:—

- संस्था को एन.सी.टी.ई. द्वारा मई, 2025 में एकल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन के संबंध में जारी दिशानिर्देश की शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा।
- एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित करने होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
- योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2026.04.02 17:35:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21388416



6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
 - I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश
 - II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टाॅफ एवं अशैक्षणिक स्टाॅफ की सूची
 - IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
 - V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
7. प्रभावी एनसीटीई रेगुलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, संबंधित सम्बद्ध विश्वविद्यालय।
5. सचिव/प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय/संस्थायें।
6. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2026.04.02 17:35:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21388416